

>15.51 hrs.

Title: Introduction of the Most Backward Classes (Proportional Representation in services and Educational Institutions) Bill, 2002.

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राज्य के अधीन सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में अत्यधिक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि अत्यधिक पिछड़े वर्ग (सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में आनुपातिक प्रतिनिधत्व) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित ** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section – 2, dated 22.11.2002.

* Introduced with the Recommendation of the President.